

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत

1^o ग्राम: चमातु थाना: बालुमथ ,जिला: लातेहार (झारखण्ड) को कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 SO No. 870 E दिनांक. 02.12.1994।

क० बासदेव साव, रूपरामसेवक साव, मनोहर साव पिता पूरन साव ग्राम: चमातु, थाना सं: 56, (रैयती) खाता सं. 118 के अधीन प्लॉट सं 2292,2293,2294,2298,2299,2300,2304 एवं 2305, कुल रकवा 9.44 एकड़ हैं।

कुल रैयती भूमि क 9.44 एकड़ के अधिग्रहण के एवज मे मुआवजा का एक प्रस्ताव कि प्रक्रिया की गई है।
2^o ऊपर उल्लेखित भूमि क० ग्राम चमातु, थाना सं: 56, अंतर्गत रैयती खाता सं. 118 के अधीन प्लॉट सं 2292,2293,2294,2298,2299,2300,2304 एवं 2305, कुल रकवा 9.44 एकड़ और यह खतियानी भूमि है और इसका खतियानी रैयत बासदेव साव, रामसेवक साव, मनोहर साव पिता पूरन साव है।

अगर उक्त मुआवजा पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर तभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप मे महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, रॉची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबंधित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: चमातु, थाना सं: 56 ; जिला :- लातेहार, (रैयती) खाता सं. 118 के अधीन प्लॉट सं 2292,2293,2294,2298,2299,2300,2304 एवं 2305, कुल रकवा 9.44 एकड़ जो बासदेव साव, रामसेवक साव, मनोहर साव पिता पूरन साव जिसे कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के भूमि-मुआवजा प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

ल्प/०४/८/२२

F A K M
04/08/2022
मंगल राम
04/8/22